

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
संचिका संख्या-12/चक0-(मु0)-26(क)-04/2016
अधिसूचना

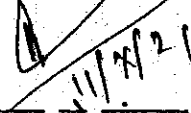
एस0ओ0 885/- चक्रदिनांक 21.10.2021 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित हैं, की समेकन संकियाएं बन्द की जाती है।

अनुसूची

क्र0	अंचल का नाम	मौजा (ग्राम) का नाम	थाना नं0
01	चैनपुर (कैमूर)	उदयपुर	139
02		नरसिंहपुर	332
03		नाउडीह	138
04		करबन्दीया	350
05		केवौ	333
06	भगवानपुर (कैमूर)	कुरुवा	763
07	सासाराम (रोहतास)	दवनपुर	226
08		सेमरा	161
09		बाराडीह	157
10	दुर्गावती (कैमूर)	इमिरती	50
11		कुशहरिया	37
12		एराजी कल्याणपुर	72
13		हरपुर पोखर	18
14		रुईयाँ	32
15	दिनारा (रोहतास)	करंज	87
16		पौंचोडिहरी	168
17		खैरी	123

18		धवनिया	179
19		पिपरा	204
20		लोढाईडीह	368
21		चमरहा	147
22		भैसड़ा	362

बिहार राज्यपाल के आदेश से


11/11/21
सरकार के संयुक्त सचिव।

एस0ओ0 885/-चक्र दिनांक 21.10.2021 / एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


11/11/21
सरकार के संयुक्त सचिव।